अध्याय 11

दस्तावेजों की खोज, प्रस्तुतिकरण और वापसी

नियम 84 : दस्तावेजों की प्रस्तुति के लिए आवेदन, समन का प्रारूप

(1) इसके अंतर्गत अन्यथा उपबंध के सिवाय, दस्तावेजों की खोज या प्रस्तुतिकरण और वापसी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों द्वारा विनियमित होगी।

(2) दस्तावेजों की प्रस्तुति के लिए समन हेतु आवेदन सादे कागज पर होगा, जिसमें वह दस्तावेज, जिसकी प्रस्तुति की मांग की जा रही है, दस्तावेज की प्रासंगिकता और यदि प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से उद्देश्य पूरा हो सकता है, तो क्या आवेदन उचित अधिकारी को किया गया था और उसका परिणाम क्या होगा, आदि का उल्लेख होगा।

(3) न्यायालय के अतिरिक्त किसी सार्वजनिक अधिकारी की अभिरक्षा में दस्तावेजों की प्रस्तुति के लिए समन में **जीएसटीएटी प्ररूप–06** में निर्दिष्ट सभी जानकारी सम्मिलित होगी और इसे संबंधित विभागाध्यक्ष या ऐसे अन्य प्राधिकारी को संबोधित किया जाएगा, जिसे अपील न्यायाधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।